कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

// परिपत्र //

क्रमांक–327/दो–12–1/2004 (फा.65)　　　　उज्जैन, दिनांक 04 अप्रैल, 2024

प्रायः यह देखने में आ रहा हैं कि प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से इस स्थापना पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण किये जाने के उपरांत उनके पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा उनके स्थानांतरण निरस्त किये जाने अथवा किसी अन्य कर्मचारी को उनके स्थान पर पदस्थ किये जाने बाबत् पत्राचार/मौखिक निवेदन किये जाते हैं, जो प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में हस्तक्षेप प्रतीत होता हैं, जो उचित नही हैं।

उपरोक्त संबंध में समस्त न्यायिक अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारीगण विभिन्न अनुविभाग को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण किये जाने पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण रूकवाये जाने अथवा निरस्त किये जाने बाबत् कोई पत्राचार नही करें एवं स्थानांतरण हेतु जारी आदेश के पालन में स्थानांतरित कर्मचारी को नियत समयावधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त परिपत्र में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपेश तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

05 APR 2024

पृष्ठां. क्रमांक–3334/दो–12–1/2004 (फा.65)　　　　उज्जैन, दिनांक........अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि –

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारीगण, उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना,
2. कोर्ट मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी/समस्त उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/ऑफिर मोहर्रिर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन,
3. श्रीमती कृतिका अष्ठाना, जे0एस0ए0, कम्प्यूटर अनुविभाग, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि उपरोक्त परिपत्र की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण के ई–मेल आई.डी. एवं व्हाट्स–अप पर प्रेषित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)